

प्रेस-विज्ञप्तिथाना निजामाबादयुवती के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तारपूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 07.05.2023 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीह दिया गया कि अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र रामसुख यादव निवासी शमसुद्दीनपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ लगभग 5 वर्ष पूर्व से बहला - फुसलाकर, शादी का झाँसा देकर गलत सम्बन्ध बनाया जा रहा है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 208/23 धारा- 376 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 09.05.2023 को निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र रामसुख यादव निवासी शमसुद्दीनपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ को महर्षि दत्तात्रेय धाम के पास से समय करीब 07.30 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 208/23 धारा- 376 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

उपरोक्त अभियोग

गिरफ्तार अभियुक्त-

अखिलेश यादव पुत्र रामसुख यादव निवासी शमसुद्दीनपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी मय हमराह थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना निजामाबादगैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तारपूर्व की घटना का विवरण

दिनांक 01.01.23 को थानाध्यक्ष अखिलेश चन्द्र पाण्डेय थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा मु0अ0सं0 003/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 बनाम 1. कमलेश पुत्र प्यारेलाल निवासी मुहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2. सलमान अहमद पुत्र रिजवान अहमद निवासी मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ 3. अबुल फैज उर्फ गब्बू पुत्र नन्हे निवासी ग्राम मुहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ का अभियोग थाना गंभीरपुर पर पंजीकृत कराया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्त सलमान अहमद पुत्र रिजवान अहमद निवासी मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ के गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ द्वारा दिनांक 23.03.2023 को 25,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि घोषित किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 09.05.23 को प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 25000 रुपये का इनामिया अभियुक्त सलमान अहमद पुत्र रिजवान अहमद निवासी मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को फरिहा देशी शराब के ठेके के पास से समय करीब 07.50 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 003/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

सलमान अहमद पुत्र रिजवान अहमद निवासी मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 002/22 धारा 307/420/467/468/471 भादवि थाना गंभीरपुर आजमगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 004/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंभीरपुर आजमगढ़ ।

3. मु0अ0सं0 123/23 धारा 174ए भादवि थाना गंभीरपुर आजमगढ़ ।

4. मु0अ0सं0 171/21 धारा 380 भादवि थाना दीदारगंज आजमगढ़ ।

5. मु0अ0सं0 003/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

सलमान अहमद पुत्र रिजवान अहमद निवासी मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

प्र0नि0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह थाना निजामाबाद जनपद-आजमगढ़

थाना- मेंहनाजपुर

चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्त चोरी के 01 अदद सीसीटीवी कैमरा के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 05.04.2023 को वादी राजेश कुमार सिंह पुत्र रामनारायन सिंह ग्राम मझगांवाँ थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि आज रात्रि समय 00.35 बजे मेहनाजपुर थाने के अन्तर्गत ग्रा0 रामपुर में स्थित वादी की देशी मदिरा की सरकारी दुकान पर दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुकान पर लगे CCTV कैमरा चुरा लिया गया। जिसका CCTV फुटेज और विडियो वादी के पास रिकार्ड है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 93/2023 धारा 379 भादवि बनाम 02 नफर नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में 03 अभियुक्तों - 1. शिवम पाण्डेय पुत्र लवकुश पाण्डेय निवसी डुहूरु थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ 2. राहुल यादव पुत्र रविन्द्र यादव निवासी बहरामपुर चौबाहा थाना सादियाबाद जनपद गाजीपुर हाल पता ग्राम कूबा खास थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ 3. मोनू सिंह पुत्र रवि सिंह निवासी लालमऊ थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया जिनके कब्जे से 01 अदद सीसीटीवी कैमरा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण :-

आज दिनांक 09.04.23 को व0उ0नि0 मोती लाल पटेल व उ0नि0 रमेश सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1.शिवम पाण्डेय पुत्र लवकुश पाण्डेय निवसी डुहूरु थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ 2. राहुल यादव पुत्र रविन्द्र यादव निवासी बहरामपुर चौबाहा थाना सादियाबाद जनपद गाजीपुर हाल पता ग्राम कूबा खास थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को डुहूरु बाजार से समय 09.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 93 /23 धारा 379,411 भादवि थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़

अपराधिक इतिहास :-

मु0अ0सं0 93 /23 धारा 379,411 भादवि थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त :-

- 1.शिवम पाण्डेय पुत्र लवकुश पाण्डेय निवसी डुहूरु थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
2. राहुल यादव पुत्र रविन्द्र यादव निवासी बहरामपुर चौबाहा थाना सादियाबाद जनपद गाजीपुर हाल पता ग्राम कूबा खास थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

विवरण बरामदगी :-

01 अदद सीसीटीवी कैमरा

गिरफ्तार करने वाली टीम :- व0उ0नि0 मोती लाल पटेल व उ0नि0 रमेश सिंह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 09.05.2023 को उ0नि0 सन्तोष कुमार सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त सलीम पुत्र शोयब निवासी ग्राम जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को भीमबर पुलिया से गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 165/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता

सलीम पुत्र शोयब निवासी ग्राम जयराजपुर थाना बिलरिया गंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

अवैध 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 165/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 249/2017 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

2-मु0अ0सं0 79/2020 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

3-मु0अ0सं0 164/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

उ0नि0 सन्तोष कुमार सिंह मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी की विवरण-

आज दिनांक 09.05.2023 को उ0नि अश्वनी कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा अभियुक्त विजय कुमार पुत्र भोला राम निवासी केशवपुर (टोडरपुर) थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ को रासेपुर से समय करीब 10.00 बजे गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 180/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम विजय कुमार पुत्र भोला राम निवासी केशवपुर (टोडरपुर) थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.सं. 180/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

विजय कुमार पुत्र भोला राम निवासी केशवपुर (टोडरपुर) थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

बरामदगी-

एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर व एक अदद कारतूस .315 बोर जिन्दा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि अश्वनी कुमार मिश्रा मय हमराह थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

थाना फूलपुर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- अभियुक्त सगीर पुत्र फिरोज सा0 लदेहरी थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र 35 वर्ष थाना स्थानीय पर पूर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0 09/23 धारा 420, 468, 473, IPC व 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 में वांछित अभियुक्त चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 08-05-2023 को उ0नि0 विपिन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त सगीर पुत्र फिरोज सा0 लदेहरी थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र 35 वर्ष को अम्बारी नहर पुलिया के पास से समय करीब 13.15 बजे गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद अवैध तमन्चा व 02 अदद जिन्दा कारतूस व 5850 रूपये तथा एक अदद मोबाइल फोन ओप्पो बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 184/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर, गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

सम्बन्धित अभियोग-

मु0अ0सं0 184/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 66/22 धारा 3/5ए/8 गो0वध0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 120-B, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना खेतासराय जौनपुर

2- मु0अ0सं0 163/20 धारा 3/5ए/8 गो0वध0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना खेतासराय जौनपुर

3- मु0अ0सं0 86/21 धारा 3(1) यु0पी0 गैंगे0 अधि0 थाना खेतासराय जौनपुर

4- मु0अ0सं0 09/23 धारा 3/5ए/8 गो0वध0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना फूलपुर आजमगढ

5- मु0अ0सं0 184/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त-

सगीर पुत्र फिरोज सा0 लदेहरी थाना खेतासराय जनपद जौनपुर उम्र 35

बरामदगी-

1-एक अदद देशी तमन्चा 303 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर

2-5850 रूपये

3-एक अदद मोबाइल फोन ओप्पो

गिरफ्तार करने वाली टीम

उ0नि0 विपिन कुमार सिंह मय हमराह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

थाना- फूलपुर

25 हजार रूपये का इनामियां गिरफ्तार; अवैध तमंचा व कारतूस बरामद

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-दिनांक 09-05-2023 को मुकदमा वादी प्र0नि0 अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली फूलपुर जनपद आजमगढ़ के लिखित फर्द बाबत अभियुक्त 1. अरुण यादव पुत्र फूलचन्द यादव सा0 खान्जहाँपुर बन्तरिया थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष के पास से एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर नाजायज मय 02 अदद कारतूस 12 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में दाखिल किया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 187/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 याशीन खाँ को सुपुर्द हुई व मु0अ0सं0 70/23 धारा 34]323]504]506]341]308 भादवि 0 3¼1½n]½n]¼1½] 3¼2½5d एससी/एसटी ,DV में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

2. गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 09-05-2023 को प्र0नि0 अनिल कुमार सिंह हम हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 25 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त अरुण कुमार यादव पुत्र फूलचन्द यादव निवासी ग्राम बन्तरिया खानजहाँपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के चाचा हरिश्चन्द्र यादव के प्याज के खेत में चारपाई में मच्छरदानी लगा कर सो रहा है उसके पास 12 बोर का एक देशी तमन्चा भी है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को एक अदद 12 बोर देशी तमन्चा तथा 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ समय करीब 05.30 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 187/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्या0 किया गया।

सम्बन्धित अभियोग- मु0अ0स0 187/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट **थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।**

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 70/2023 धारा 34,323,504,506,341,308 भादवि व 3(1)द,द,(1),3(2)5क एससी/एसटी एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

2-मु0अ0सं0 187/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- अरुण कुमार यादव पुत्र फूलचन्द यादव निवासी ग्राम बन्तरिया खानजहाँपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1. एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर,

गिरफ्तार करने वाली टीम

1-प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह उ0नि0 श्री हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

अप्रैल माह के कार्य के सम्बन्ध में पुलिस लाइन में अपराध गोष्ठी। सर्वश्रेष्ठ CO व थाना प्रभारी किए गए सम्मानित। अंतिम तीन रैंक पाने वाले थाना प्रभारियों को चेतावनी व 30 दिवस में रैंक में सुधार लाने के लिए निर्देश

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाईन्स सभागार आजमगढ़ में जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार, समस्त क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी/शाखा प्रभारी के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की गयी।

सर्वप्रथम माह मार्च से जनपद में लागू की गई थाना मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा की गई। यह प्रणाली कुल 30 बिंदुओं का समावेश कर उनपर अंक प्रदान कर थानों की रैंकिंग देने के लिए विकसित की गई है। इसमें प्रार्थना पत्र, IGRS, FIR पंजीकरण, घटना अनावरण, अपराधियों की गिरफ्तारी, वारंटी गिरफ्तारी, त्रिनेत्र एप्प में अपराधी का डाटा फीड करना, गुंडा एक्ट में कार्यवाही इत्यादि के धनात्मक अंक एवं आम जन से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार की शिकायत, अपराधी के फरार रहने, समन तामील न करने इत्यादि के ऋणात्मक अंक दिए गए हैं।

30 बिंदुओं पर कुल मिलाकर जिस थाने को सर्वाधिक अंक माह में प्राप्त होंगे वह माह का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया जाएगा।

अप्रैल 2023 के विजेता

प्रथम स्थान - थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह व समस्त पुलिसकर्मी थाना फूलपुर

द्वितीय स्थान - थाना प्रभारी विकास चन्द्र पाण्डेय व समस्त पुलिसकर्मी थाना बरदह

तृतीय स्थान - थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह व समस्त पुलिसकर्मी थाना मेंहनगर

सर्वश्रेष्ठ क्षेत्राधिकारी - डिप्टी एस पी मनोज कुमार सिंह रघुवंशी CO लालगंज

उपरोक्त सभी को पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

अंतिम 03 स्थान पर रहे थाना कसानगंज, थाना कंधरापुर एवं थाना बिलरियागंज के थाना प्रभारी को चेतावनी के साथ 30 दिवस का समय सुधार कर बेहतर प्रदर्शन करने हेतु निर्देशित किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी में निम्नलिखित बिन्दुओं की समीक्षा भी की गयी-

- ➔ विगत माह तीन वर्षीय तुलनात्मक अपराध आकड़ा / निरोधात्मक कार्यवाही की समीक्षा।
- ➔ थानों पर जनसुनवाई करने तथा लम्बित शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक यथाशीघ्र निस्तारण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
- ➔ गिरफ्तारी हेतु शेष पुरस्कार घोषित की समीक्षा तथा थाना / जनपद स्तर पर चिन्हित टाप-10 सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही।
- ➔ विगत माह पेपिडंग एनबीडब्लू तामीला।
- ➔ हत्या/लूट/चोरी के अनावरण हेतु शेष अभियोगों की समीक्षा।
- ➔ एस०आर० के वांछित अभियुक्तों की समीक्षा।
- ➔ थानों पर लम्बित समस्त विवेचनाओं, गैंगेस्टर के वांछित अभियुक्तों की समीक्षा।
- ➔ आबकारी अधिनियम के मालों के निस्तारण के निमित्त प्रचलित अभियान तथा थाने के माल निस्तारण की समीक्षा।
- ➔ धारा 363, 366 भादवि से सम्बन्धित अपहृत / अपहृता की बरामदगी की समीक्षा।
- ➔ जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों के घटना स्थल के निरीक्षण हेतु अक्षांश / देशांतर से सम्बन्धित एप्प की समीक्षा।